न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 34/2023 G.C.M.S. No: 2023/131 दर्ज दिनांकः 24.04.2023

अपीलार्थीगण

1. पेकाराम पुत्र करमीजी
2. राणाराम पुत्र करमीजी
3. भोलाराम पुत्र करमीजी जातियान–रेबारी, निवासी मायलावास, तहसील व जिला जालोर
4. फालुदेवी पत्नी अगराजी पुत्री करमीजी जाति रेबारी, निवासी काणदर, तहसील व जिला जालोर
5. कुकीदेवी पत्नी राणाजी पुत्री करमीजी जाति रेबारी, निवासी बागरा, तहसील व जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. आम्बाराम पुत्र वीरकाराम जी
2. देवाराम पुत्र वीरकाराम जी, जाति रेबारी, निवासी मायलावास तहसील व जिला जालोर
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जालोर तहसील व जिला जालोर
4. उपपंजीयक–उपपंजीयक कार्यालय जालोर, तहसील व जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.08.2022 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 42/2022 न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर सपठित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थितः–

1. श्री महिपाल सिंह जैतावत, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सिकन्दर अली रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 25.11.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी जालोर के राजस्व वाद संख्या 42/2022 बउनवान पेकाराम बनाम आम्बाराम में पारित आदेश दिनांक 31.08.2022 के विरूद्ध पेश की गई। अपील के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

यह कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत् हक खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेद्याज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया, उसके साथ एक अस्थाई निषेद्याज्ञा का राजस्व प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा राजस्व ग्राम मायलावास, पटवार हल्का भेटाला, भू.अ.नि.क्षे. सियाणा, तहसील व जिला जालोर में नया खाता सख्या–10 के खसरा नम्बर–1573/746 रकबा 1.0000 हैक्टर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर–747 रकबा 10700 हैक्टर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर–748 रकबा 0.0700 हैक्टर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर–749 रकबा 0.0600 हैक्टर किस्म बारानी सोयम कुल खसरे–04, कुल रकबा 2.2000 हेक्टर, वार्षिक लगान–6 60/– रूपयों के

रूप में आई हुई है. उक्त आराजी पुराने खसरा नम्बर–254 रकबा साढ़े सोलह बीघा 4 बिस्वा से बने है। उपरोक्त वर्णित खातेदारी आराजी में प्रथम सैटलमेन्ट के दौरान मिसल बन्दोबस्त बनाते समय अप्रार्थी सख्या–01 व 02 के पिता के अकेले के नाम से ही इन्द्राज किया गया, जबकि उपरोक्त वर्णित आराजी पर प्रार्थीगण के पिता करमीजी भी काश्त करते थे, जिसके सबूतार्थ गिरदावरी सवत् 2015 से 2018 में प्रार्थीगण के पिता करमीजी का नाम अप्रार्थीगण के पिता विरका पुत्र हबता के साथ दर्ज इन्द्राज है। उपरोक्त वर्णित वर्तमान खसरा नम्बरान की आराजी में प्रार्थीगण के पिता करमीजी 1/2 हक हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे तथा करमीजी के स्वर्गवास के पश्चात् बतौर वारिस प्रार्थीगण उनके 1/2 हक हिस्से में सयुक्त रूप से काबिज काश्त निरन्तर बलते आ रहे है। प्रथम सैटलमेन्ट बन्दोबस्त के कर्मचारीयो व अधिकारीयों ने त्रुटिवश उक्त आराजी सम्पूर्ण अप्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज कर दी, जबकि खसरा गिरदावरी में प्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज की गई थी मगर खतौनी बन्दोबस्त व जमाबंदी संवत 2009 से 2012 में प्रार्थीगण के पिता का नाम विलोपित कर दिया। जबकि भू–प्रबंध विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योकि उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थीगण सख्या–01 व 02 के पिता सयुक्त रूप से 1/2–1/2 हक हिस्से में काबिज काश्त थे इसलिए प्रार्थीगण का यह वाद अपने पक्ष में खातेदारी हक की घोषणा करने हेतु प्रस्तुत है। जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज कर प्रतिपक्ष को सम्मन जारी कर प्रतिपक्ष को तलब किया तथा दिनाक 31–08–2022 को जैर अपील निर्णय पारित किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत घारा 212 आर.टी एक्ट अस्थाई निषेद्याज्ञा का खारिज किया जाकर ग्राम मायलावास पटवार हल्का भेटाला, तहसील जालोर के खसरा नम्बर–1573/746 रकबा 1.0000 हैक्टर, खसरा नम्बर–747 रकबा 1 0700 हैक्टर, खसरा नम्बर 748 रकबा 0.0700 हैक्टर व खसरा नम्बर–749 रकबा 0.0600 हैक्टर कुल खसरे–04 पर मौका एवं रैकर्ड की पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा आदेश दिनांक 21–02–2022 सहित यह प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। उक्त खातेदारी में प्रथम सैटलमेन्ट के दौरान मिसल बन्दोबस्त बनाते समय रेस्पोडेन्ट सख्या–01 व 02 के पिता अकेले के नाम से ही इन्द्राज किया गया, जबकि उक्त वर्णित आराजी अपीलान्ट्स के पिता करमीजी भी काश्त करते थे, जिसके सबूतार्थ गिरदावरी सबत् 2015 से 2018 में अपीलान्ट्स के पिता करमीजी का नाम रेस्पोडेन्टस के पिता विरका पुत्र हबता के साथ दर्ज इन्द्राज है। प्रथम सैटलमेन्ट बन्दोबस्त के कर्मचारियों व अधिकारियों ने त्रुटिवश उक्त आराजी सम्पूर्ण रेस्पोडेन्ट्स के पिता के नाम दर्ज कर दी, जबकि खसरा गिरदावरी में अपीलान्टस के पिता एवं रेस्पोडेन्ट्स के पिता के नाम दर्ज की गई थी. मगर खतौनी बन्दोबस्त व जमाबंदी संवत् 2009 से 2012 में अपीलान्ट्स के पिता का नाम विलोपित कर दिया, जबकि भू–प्रबंध विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उपरोक्त वर्णित आराजी में अपीलान्ट्स के पिता एव रेस्पोडेन्टस संख्या–01 व 02 के पिता सयुक्त रूप से 1/2–1/2 हक हिस्से में काबिज काश्त थे।

रेस्पोडेन्ट्स उपरोक्त भूमि को गुण्डा तत्वो को बेचाने करने पर आमादा है तथा उक्त भूमि में सबसे उपजाउ व कीमती भूमि पर खरीददारों को कब्जा करवाने पर आमादा है, जिसके चलते उक्त रेस्पोडेन्ट्स खरीददारों से सम्पर्क कर रहे है तथा भूमि को बेचान

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

कर रहे है. जिससे भी जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट्स उक्त भूमि को आगे से आगे बेचान कर देगे। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2023 को निरस्त किया जावे व वादग्रस्त आराजी की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमाया जावे।

अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान प्रकरण में एक वाद सहायक कलक्टर जालोर के समक्ष विचाराधीन है जिसमें मुझ अपीलांट द्वारा एक स्थगन आदेश प्राप्त किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2022 को अन्तिम रूप से निस्तारण किया गया जिसकी सूचना मुझ अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा मुझे नहीं दी गयी। फिर भी मेरे अधिवक्ता से बार–बार पुछने पर कहा गया कि स्थगन चल रहा है जिस मुझे शक होने पर मुझे लगा मेरे अधिवक्ता मुझसे झुठ बोल रहे जिससे मै स्वयं न्यायालय के समक्ष मार्च 2023 में उपस्थित हुआ तब न्यायालय रीडर के मार्फत मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि स्थगन पर पूर्व में आदेश हो चुका है तब नकल आदि प्राप्त कर श्रीमान के समक्ष जानकारी से परिसीमा के भीतर श्रीमान को यह अपील प्रस्तुत कर रहे है अतः विलम्ब माफ कर अपील अन्दर म्याद फरमावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की अपील सुनी गयी। हमने अपील पर मनन किया एवं न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संगत विधि प्रावधानों का अवलोकन किया प्रकरण का विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपीलांट द्वारा धारा 05 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के कारण के रूप में मुख्य रूप से यह अंकित किया है कि "एक वाद सहायक कलक्टर जालोर के समक्ष विचाराधीन है जिसमें मुझ अपीलांट द्वारा एक स्थगन आदेश प्राप्त किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2022 को अन्तिम रूप से निस्तारण किया गया जिसकी सूचना मुझ अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा मुझे नहीं दी गयी। फिर भी मेरे अधिवक्ता से बार–बार पुछने पर कहा गया कि स्थगन चल रहा है जिस मुझे शक होने पर मुझे लगा मेरे अधिवक्ता मुझसे झुठ बोल रहे जिससे मै स्वयं न्यायालय के समक्ष मार्च 2023 में उपस्थित हुआ तब न्यायालय रीडर के मार्फत मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि स्थगन पर पूर्व में आदेश हो चुका है।" इस प्रकार अपीलांट द्वारा विलम्ब के कारण के रूप अपने अधिवक्ता को दोषी मानते हुए अधिवक्ता द्वारा अपने कार्य निर्वहन में लापरवाही किये जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को समय पर नहीं देने के कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 24.08.2022 को उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31.08.2022 को नियत की गयी तथा आदेशिका दिनांक 31.08.2022 के अंकन अनुसार प्रार्थना पत्र अंतिम रूप से निर्णित कर दिया गया।

3. न्यायालय हाजा की पत्रावली के अवलोकन स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2022 के विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 24.04.2023 को प्रस्तुत की। अपील के विहित कालावधि 60 दिवस है। अपीलांट

द्वारा निर्णय पारित किये जाने से लगभग 240 दिवस पश्चात अर्थात लगभग 180 दिनों के विलम्ब काल के साथ अपील प्रस्तुत की है।

4. यहां हम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2016(4) डी.एन.जे. (राज) 1729 जितेन्द्रसिंह बनाम निर्वाण चेरिटेबल ट्रस्ट में प्रदत्त अभिमत का उल्लेख करना उचित समझते हैं जिसके अनुसार– ***"निगरानी पेश करने में 234 दिनों का विलंब– याची ने अभिवचन किया कि वकील ने आदेश के बारे में सूचना नहीं दी– याची संख्या 1 ने उसका वकील नहीं बदला– मुव्वकिल को पर्याप्त जागरूक होना चाहिए एवं लंबित कार्यवाहियों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, आधारहीन कथन किया, विलंब शमन हेतु सत्याभाषी स्पष्टीकरण में ही, याचीगण स्थापित करने में असफल रहें कि वे मियाद में निगरानी पेश करने से रोके गये, निर्णीत, धारा 5 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र व निगरानी याचिका खारिज किये।"***

5. हमारे विनम्र अभिमत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में प्रकट अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होता है। अतः अपीलांट द्वारा लगभग 180 दिनों दीर्घ विलंबकाल से हस्तगत अपील प्रस्तुत करने, अपीलांट से पर्याप्त सतर्कता की अपेक्षा की जाती हैं, लेकिन अपीलांट द्वारा हस्तगत प्रकरण में विलंबकाल के कारण के लिए अपने अधिवक्ता को उत्तरदायी ठहराया है लेकिन अपने कथनों व आरोपो की पुष्टि व विश्सनीयता के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है अतः ऐसी स्थिति में यह सहज रूप से माना जायेगा कि प्रार्थी द्वारा प्रकट कथन व तथ्य उसकी दिमागी उपज है जो कि किसी भी दृष्टि से स्वीकार योग्य, युक्तियुक्त, सद्भाविक एवं उचित कारण नहीं माना जा सकता। उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होता है। अतः अपीलांट द्वारा विलंब का कोई संतोषजनक, विश्वसनीय एवं युक्तियुक्त कारण साबित नहीं करने एवं न ही ऐसी परिस्थितियां जो अपीलांट के नियंत्रण से परे हों तथा जिसके फलस्वरूप अपीलांट अंदर म्याद अपील प्रस्तुत नहीं करने के लिए बाध्य रहा हों, साबित कर पाने में पूर्णतया असफल रहने के कारण विलंबकाल किसी भी दृष्टि से शमन योग्य नहीं हैं। लिहाजा अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 भली–भांति साबित नहीं होता है, तथा स्वीकार योग्य नहीं हैं, फलस्वरूप अपील अपीलांट अपील के लिए विहित अवधि से परे एवं विहित अवधि से बाधित होने के कारण अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **25.11.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली